

क्रम संख्या	दिनांक आश या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	6/4/21	पत्रावली पेश हुई। वकूलाय द्वारा डोलेंस/कार्य रीगित क। के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 11/6/21 को पेश हो।
	1/6/21	पत्रावली कार्य का कारण पत्रावली को <u>P.O. मालिका के अंतर्गत</u> कारण <u>5/8/21</u>
	5/8/21	पत्रावली पेश हुई। वकील वारी पत्राकारान उपस्थित। पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार दिनांक 20/9/21 को पेश हो।
2 10/21		<p>पत्रावली आज राजावलोकन अर्थात् सुश्रामरा गाँवो के राजा अर्थात् 2021 के मसलत में पेश हुई वही मसलत उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 व 2 को रजिस्ट्रार नोडिफिकेशन एक्ट माह में अधिवक्ता सम्प हो गया। पत्रावली में प्रतिवादी सं. 1 व 2 को नोडिफिकेशन एक्ट माह में शामिल पत्रावली नहीं है। ए.ए. सिद्धि में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरुद्ध एक तस्का कार्यवाही अखिल में जारी जाती है। वही को वाउ फन पर सुना गया। पत्रावली में अंततः 5 तारीखों का कगोर अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन एवं नोडिफिकेशन को वाउ फन पर सुनने के पश्चात वही को वाउ स्वीकार किया जाता उचित समझते हैं अतः वही को वाउ स्वीकार किया जाऊँगा वाउ प्राप्त आया खसल नम्बर 691/2 खसल 6 सीधा 7 दिनांक 25/10/21 खसल 7 सीधा 4</p>

दिनांक आशा या कार्यवाही	आशा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>कुल किता 2 कुल रकम 13 बीघा 11 किता एवं प्रतिवादी का ख. नं. 690 रकम 9 बीघा 11 किता निमत 1/2 भाग वादना तहसील बस्ती जिला जयपुर का जयपुर विकास प्राधिकरण एवं तहसीलदार बस्ती की शर्त मयुक्त रूप से पक्षकारों की उपस्थिति में सीमा जात करके के आदेश दिए जाते हैं। सीमा जात के पश्चात वापस की गई सीमा रेखा पर उभय पक्ष एक दुसरे के अर्द्ध वादत में दरबल नहीं देते हेतु पाबन्द रहेंगे यदि किसी पक्ष के पास में रिकार्ड से ज्यादा भूमि होगी तो जो उसे छोड़ने के लिए पाबन्द रहेंगे अथवा तहसीलदार निपुण द्वारा दरबल करते के लिए अधिकृत होंगे और यदि उभय पक्ष के पास में जमीन वापस रहती है तो अनुपातिक रूप से वापस भूमि को धारण करते के लिए पाबन्द रहेंगे।</p> <p>जब तक तहसीलदार बस्ती एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वाद 1/2 भाग आरज़ी की सीमा रेखा वापस नहीं कर दी जाती है तब तक उभय पक्ष सीमा एवं रिकार्ड की पधा स्थिति बरकरार रखने हेतु पाबन्द रहेंगे तहसीलदार बस्ती व जयपुर विकास प्राधिकरण 15 दिवस में उपरोक्तानुसार सीमा रेखा कापन करते हेतु पाबन्द रहेंगे। अतः उपरोक्तानुसार वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी का किसी विवाद नहीं है। इसी अनुरूप किसी पक्ष को नहीं है। पत्रावली फौजदारी नुमा होम काउ तहसील नरिस 4 फरवरी।</p> <p>आज्ञा क्र. 2-10-21 को पद निमित्त प्रशासन सेवा के प्रो. अ. नि. 2021 के मध्य वादना में सजसे आता में सुनाया गया।</p>	<p>376 12/10/21 तहसीलदार बस्ती की तहसील नरिस</p>

उप सुण्ड अधिकारी  
बस्ती (जिला-जयपुर)